

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो §
सोमवार, 23 सितम्बर, 1996/आश्विन 01, 1918 शक §

संख्या- 287

सदस्य को नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से दिनांक 20. 9. 1996 को निम्नलिखित सूचना दिनांक 20. 9. 1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के तर्कसंगत निर्देशों को अवहेलना करने पर दिनांक 20. 9. 1996 को पूर्वा. 10. 38 बजे पुलिस स्टेशन विकासपुरी, पश्चिमी जिला, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में उत्तम नगर क्रांशिंग, नजफगढ़ रोड से गिरफ्तार किया गया और आज ही पूर्वा. 10. 41 बजे रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, September 23, 1996/Ashvina 01, 1918 (Saka)

No. 287

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 20.9.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, West District, Delhi on 20.9.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Mukesh Sharma, Hon'ble Member of Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi has been detained on 20.9.96 at 10.38 A.M. and released at 10.41 A.M. today under section 65 D.P. Act, 1978 for non-compliance of the reasonable directions of the Police Officer at Uttam Nagar Crossing Najafgarh Road in the jurisdiction of Police Station Vikas Puri, West Distt., Delhi."

P.N. GUPTA
SECRETARY